कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली (म0प्र0)

सूचना का अधिकार

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्रं0/मा0चि0/ 4054 सिंगरौली, दिनांक 18-07-022

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
जयंत परियोजना एन.सी.एल.
सिंगरौली म0प्र0

विषयः– सिंगरौली जिले में जयंत सिंगरौली मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास डायवर्सन सड़क निर्माण हेतु 0.238 हेक्टेयर वनभूमि जयंत परियोजना, नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1147/2022/10–11/2496 भोपाल, दिनांक 15.07.2022।

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से जयंत सिंगरौली मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास डायवर्सन सड़क निर्माण हेतु महाप्रबंधक जयंत परियोजना एन.सी.एल. को वनमण्डल सिंगरौली की प्रभावित वन भूमि रकवा 0.238 हे0 के व्यपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैढ़न के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 274 रकवा 0.238 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार एन.पी.व्ही की राशि एवं प्रकरण में कोई वृक्ष काटे जाना है, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण अथवा 100 वृक्षों का रोपण किया जाना होता है। अतः प्रकरण में 100 वृक्षों की राशि , 2000/– प्रति वृक्ष की दर से राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

शर्त क्रं0	मद का नाम	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि (रु.)
1	2	3
2	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	2,27,952.00
4	100 वृक्षों की राशि 2000/– प्रति वृक्ष के दर से	200000.00
	योगः–	**4,27,952.00**

3. एन.पी.व्ही. की राशि रू. 2,27,952/– (रू. दो लाख सत्ताइस हजार नौ सौ बावन मात्र) एवं 100 वृक्षों की राशि 2000/– प्रति वृक्ष के दर से राशि रु. 2,00,000/– (रु. दो लाख मात्र) होती है, कुल राशि **रू. 4,27,952/– (रु. चार लाख सत्ताइस हजार नौ सौ बावन मात्र)** कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. साथ ही प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

18/7

(मधु व्ही. राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/मा0चि0/4055 सिंगरौली दिनांक 18-07-022

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

49

F:\shweta docs\Road\Bodarhwatola Village, Jhingurda\Bodarhwatola Village, Jhingurda.docx